



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-26062023-246821
CG-DL-E-26062023-246821

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2657]

No. 2657]

नई दिल्ली, सोमवार, जून 26, 2023/आषाढ़ 5, 1945

NEW DELHI, MONDAY, JUNE 26, 2023/ASHADHA 5, 1945

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 जून, 2023

आय-कर

का.आ. 2777(अ).—केंद्रीय सरकार, आय-कर नियम, 1962 के नियम 10ग के उपनियम (7) के परंतुक के साथ पठित आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 92ग की उपधारा (2) के तीसरे परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह अधिसूचित करती है कि जहां उक्त अधिनियम की धारा 92ग के अधीन अवधारित आसन्निकट कीमत और वह कीमत, जिस पर अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहार या विनिर्दिष्ट देशी संव्यवहार वास्तविक रूप से किया गया है, के बीच अंतर थोक व्यापार की बाबत बाद वाली कीमत के एक प्रतिशत से अधिक नहीं है और सभी अन्य मामलों में बाद वाली कीमत के तीन प्रतिशत से अधिक नहीं है, वहां वह कीमत, जिस पर अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहार या विनिर्दिष्ट देशी संव्यवहार वास्तविक रूप से किया गया है, निर्धारण वर्ष 2023-2024 के लिए आसन्निकट कीमत समझी जाएगी।

स्पष्टीकरण—इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए, “थोक व्यापार” से ऐसे माल के व्यापार का ऐसा अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहार या विनिर्दिष्ट देशी संव्यवहार अभिप्रेत है, जो निम्नलिखित शर्तों को पूरा करता है, अर्थात् :—

(i) तैयार माल की क्रय लागत, ऐसे व्यापारिक क्रियाकलापों से संबंधित कुल लागत का अस्सी प्रतिशत या उससे अधिक है; और

(ii) ऐसे माल की औसत मासिक अंतिम सूची ऐसे व्यापारिक क्रियाकलापों से संबंधित विक्रयों का दस प्रतिशत या उससे कम है।

[अधिसूचना सं. 46/2023/एफ.सं. 500/1/2014- एपीए-II]

डा. विजित पटेल, अवर सचिव

स्पष्टीकारक ज्ञापन

यह अधिसूचना निर्धारण वर्ष 2023-24 के लिए थोक व्यापार के लिए एक प्रतिशत और अन्य सभी मामलों में तीन प्रतिशत की सह्यता रेंज का उपबंध करती है। यह प्रमाणित किया जाता है कि इस अधिसूचना को भूतलक्षी प्रभाव दिए जाने से किसी पर भी कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th June, 2023

INCOME-TAX

S.O. 2777(E).—In exercise of the powers conferred by the third proviso to sub-section (2) of section 92C of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961)(hereafter referred to as the said Act) read with proviso to sub-rule (7) of rule 10CA of the Income-tax Rules, 1962, the Central Government hereby notifies that where the variation between the arm's length price determined under section 92C of the said Act and the price at which the international transaction or specified domestic transaction has actually been undertaken does not exceed one per cent. of the latter in respect of wholesale trading and three per cent. of the latter in all other cases, the price at which the international transaction or specified domestic transaction has actually been undertaken shall be deemed to be the arm's length price for assessment year 2023-2024.

Explanation.- For the purposes of this notification, "wholesale trading" means an international transaction or specified domestic transaction of trading in goods, which fulfils the following conditions, namely:-

- (i) purchase cost of finished goods is eighty per cent. or more of the total cost pertaining to such trading activities; and
- (ii) average monthly closing inventory of such goods is ten per cent. or less of sales pertaining to such trading activities.

[Notification No. 46/2023/F. No. 500/1/2014-APA-II]

Dr. VIJIT PATEL, Under Secy.

Explanatory Memorandum

The notification provides for tolerance range of one per cent. for wholesale trading and three per cent. in all other cases for assessment year 2023-2024. It is certified that none will be adversely affected by the retrospective effect being given to the notification.